संलग्नक – 1.6

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड़यूड़ा–बलमा~~ बलमा बड़यूड़ा ढाना मडेना तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–अल्मोड़ा के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित टकोली बैण्ड से ~~बड़यूड़ा–बलमा~~ बलमा बड़यूड़ा ढाना मडेना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अल्मोड़ा ....तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

15.01.15

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी
सदर अल्मोड़ा

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No........................... Dated...............................

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **10.0688** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Provincial Division P.W.D Almora Uttaratakhad for Construction of Takoli Band To Balma-Badyura-~~TANA~~ MATENA Motor Road (17.00 km.) Provincial Division P.W.D. (purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Dheli, Aouli, Nora, Chatola, Balma, Badura, Bari Matela, Thana Matena Village (s) in Almora tahsils.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **10.0688** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities.

Encl: As above

15/4/15
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

1·6B

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **10.0688** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s) and the District level Committee are enclosed as annexure I to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

जिलाधिकारी,
Signature

(Full name of the official seal of the District Collector

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

1.6c

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., Deputy Commissioner, Almora on date 15:01:2015... at time 4:00.pm... at Almora in which application claiming rights of works naming:-

(1) **Construction of Jwarneri -Buksar Motor Road Length-10.00 km. (Selpar, Surchora, Pajena, Buksar, Lara, Malli Pipli area measuring 4.8338 Hect.)**

(2) **Construction of Takoli Band to ~~Badura Balma~~ Balma Badura THANA MATENA Motor Road Length-17.00 km. (Auli, Noura, Chatola, Balma, Badura, Bari, Matela, Thana Matena area measuring 10.0688 Hect.)**

(3) **Construction of Saraswati Mandir Dhugadhra Motor Road to Darbari Nagar Extension Length-1.00 Km. (Falsima area measuring 0.900 Hect.)**

(4) **Construction of Kwarab-Kosi Baipass Motor Road Length-19.00 Km. (Chosali, Barsimi, Khatyari, Dharsimi, Sainar, Kuneta guth, Pharka, Syali, Talar, Adheli Sunar, Adheli Tewari, Sunola, Matela area measuring 10.1763 Hect.) for** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

It is certified that no land belonging to S.T. community falls in the alignment of the said road above.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

15.01.15

Deputy Commissioner/Chairman
जिलाधिकारी अल्मोड़ा

Dated:

District Level Committee.

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बडयूड़ा–बलमा~~ बलमा - बड्यूड़ा - डाणा - मटेना तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

कार्यालय उप जिलाधिकारी, अल्मोड़ा

अनुसूचित जनजाति औरं परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा..............

उपखण्ड अल्मोड़ा..............परिक्षेत्र के अन्तर्गत टकोली बैण्ड से ~~बडयूड़ा–बलमा~~ बलमा - बड्यूड़ा - डाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.2200 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.8488 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 10.0688 हे0 का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील अल्मोड़ा..........) की दिनांक.......7.12.15.....को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रिंकू बिष्ट ...., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्रीमती रिंकू बिष्ट..................उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा..............................अध्यक्ष

2– श्री महेन्द्र कुमार..................उप प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा........सदस्य

3– श्री भारत भूषण बिष्ट......सहायक समाज कल्याण अधिकारी हवालबाग...........सदस्य/सचिव

4– श्री अनिल सिंह...............................बी0डी0सी0 क्षेत्र बाड्यूड़ा..............................सदस्य

5 – श्रीमती बसन्ती देवी बी.डी.सी. क्षेत्र मलाडी, बघाड़, नौगा सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से बडयूड़ा–बलमा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 10.0688 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ...अल्मोड़ा... परिक्षेत्र के अन्तर्गत टकोली बैण्ड से बड़ेयूड़ा–बल्मा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु कुल 10.0688 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–अल्मोड़ा
जनपद–अल्मोड़ा

1.6F

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड़यूड़ा–बलमा~~ बलमा-कपड़ा-ठाणा मैटा तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ......ढैली......

तहसील......अल्मोड़ा......, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड़यूड़ा–बलमा~~ बलमा-कपड़ा-ठाणा मैटा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.2200 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.8488 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 10.0688 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत......ढैली......द्वारा दिनांक....1/12/15........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......ढैली......के ग्रामबासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(हस्ताक्षर) ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम सचिव ढैली वि0ख0 लमगड़ा (अल्मोड़ा)	(हस्ताक्षर) A.S.W.O. Lamgarha	(हस्ताक्षर) पूरन सिंह ढैला ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत – ढैली वि0ख0– लमगड़ा (अल्मोड़ा)

166

प्रपत्र–23.1

दिनांक 1/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत दैली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	[illegible]	[illegible]
2	हरीश सिंह	हरीश सिंह
3	[illegible] सिंह दैला	[illegible]
4	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
5	बालम सिंह	बालम सिंह
6	भुवन दैला	भुवन दैला
7	[illegible] सिंह	

पूरन सिंह दैला
प्रधान
ग्राम पंचायत – दैली
वि०ख०– ग्राम प्रधान

1.6 H

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बल~~मा तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ठाट............
तहसील......अल्मोड़ा........., जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बल~~मा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.2200 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.8488 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 10.0688 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....ठाट..................द्वारा दिनांक...27.11.14..........को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......ठाट..............................के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम पंचायत–ठाट
वि0ख0 ... (अल्मोड़ा)

ग्राम सचिव

27/11/14
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ठाट
वि0ख0 ... (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 4/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ठाट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मेघन सिंह	मेघन सिंह
2	दीवान सिंह	दीवान सिंह
3	शिवराज सिंह	शिवराज सिंह
4	[illegible]	[illegible]

प्रधान
ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत–ठाट
वि०ख० लमगडा (अल्मोडा)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बलमा~~ बलमा-बड्यूड़ा-ढाणा मटेना तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ....नौरा....
तहसील....अल्मोड़ा...., जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बलमा~~ बलमा-बड्यूड़ा-ढाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.2200 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.8488 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 10.0688 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत....नौरा....द्वारा दिनांक..27/11/17....को सम्पन्न ग्राम संभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारां स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....नौरा....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

[signature] A.S.W.O. [signature]

प्रधान
ग्राम पंचायत नौरा
वि0ख0-लमगड़ा
जिला - अल्मोड़ा

ग्राम सचिव | ग्राम प्रधान

[signature] 27/11/17
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत .....
वि0ख0 लमगड़ा (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 23/11/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नौरा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्दासिंह	[signature]
2	किशनसिंह	[signature]
3	प्रेमा देवी	[signature]
4	मोहन सिंह	मोहन सिंह
5	G.S Bagdwal	[signature]
		सरिता देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत नौरा
वि ख० लमगड़ा
जिला अल्मोड़ा
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बल्मा~~ बल्मा–बड्यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बल्मा
तहसील अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बल्मा~~ बल्मा–बड्यूड़ा–ठाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.2200 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.8488 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 10.0688 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बल्मा द्वारा दिनांक 5/12/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बल्मा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Bhupal Singh ग्राम सचिव ग्राम पंचायत बल्मा वि0ख0- लमगड़ा/अल्मोड़ा	A.S.N.I.O. Lamgara	ग्राम प्रधान प्रधान ग्राम पंचायत बल्मा, वि0ख0-लमगड़ा(अल्मोड़ा)

1.6M

प्रपत्र–23.1

दिनांक ५।१२।१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बल्टा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	चरनराम	चरनराम
	नन्दराम	नन्दराम
	उमेश पाण्डे	[illegible]
	देवी दत्त	देवी दत्त
	Devi Datt	Devi Datt

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत बल्टा,
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)
उत्तराखण्ड

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बलमा~~ बालना - बड्यूड़ा - डाणा मटेना तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बड्यूड़ा

तहसील अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बलमा~~ बालना - बड्यूड़ा - डाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.2200 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.8488 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 10.0688 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड्यूड़ा द्वारा दिनांक 27/11/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बड्यूड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव		ग्राम प्रधान
27/11/14	A.S.W.I.O.	प्रधान
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बड्यूड़ा वि0ख0–हवालबाग (अल्मोड़ा)		ग्राम पंचायत बड्यूड़ा वि0ख0–हवालबाग (अल्मोड़ा)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 23/11/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपाल दत्त	गोपाल दत्त
2	गोपाल राम	गोपाल राम

ग्राम प्रधान

[signature]

प्रधान
ग्राम पंचायत बड़ख्यूं
वि०ख०-लमगड़ा (अल्मोड़ा)

1.8P

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बलमा~~ बलमा-बड्यूड़ा-ढाणा मटेना तक मोटर मार्ग लम्बाई 17.00कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ढाणा मटेना
तहसील अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड कें जनपद अल्मोड़ा में टकोली बैण्ड से ~~बड्यूड़ा–बलमा~~ बलमा-बड्यूड़ा-ढाणा मटेना तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 17.00कि0मी0 परियोजना के निर्माण हेतु 4.2200 हे0 आरक्षित वन भूमि, 5.8488 हे0 सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि शून्य हे0) अर्थात कुल 10.0688 हे0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ढाणा मटेना द्वारा दिनांक 8/12/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ढाणा मटेना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी / ग्राम सचिव, वि0ख0- लमगड़ा अल्मोड़ा	A.S.W.O. Lamgarh	प्रधान ग्राम पंचायत ढाणा मटेना वि0ख0 – लमगड़ा अल्मोड़ा

1.69

प्रपत्र–23.1

दिनांक 6/12/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ठाणा महेना

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भूपाल राम	[signature]
2	गोपाल राम	गोपाल राम
3	शिव सिंह	शिव सिंह
4	पूरन सिंह	पूरन सिंह
5	नारायण राम	नारायण राम

ग्राम प्रधान
हेमा देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत – ठाणा महेना
वि0ख0 – लमगड़ा
अल्मोड़ा